



जीविका

गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार



प्रथम तल, विद्युत भवन -2, बेली रोड, पटना - 800 021, दूरभाष : +91-612-250-4980, फैक्स : +91-612-250 4960, ईमेल :: info@brlp.in, वेबसाईट : www.brp.in

Ref. No: BRLPS/Proj-IBC/17/06/vol-V/4787

Date: 15.03.19

Office Order towards 'Ekrarnama'

BRLPS has mobilised around 98 lakhs households into 8.30 lakh SHGs, 54,000 VOs and 900 CLFs. CBOs are initially formed by staff or CRPs and are being provided basic trainings. Further, CBOs select cadre to assist them and are provided required orientation and training by the project. At present there are around 70,000 plus different cadres associated with CBOs, who are supporting CBOs in conduction of meetings, updating of books of records, orientation and training etc. to the concerned CBOs.

Cadre facilitate and nurture CBOs, improve and maintain its quality. CBOs are also involved in selection, review and payment of cadres. Cadre work in close interaction with CBOs, support them in decision making including financial and non-financial aspects. Cadres submit their report to the concerned CBO and after proper review, CBOs pay honorarium to cadre. Hence, for maintaining the transparency, accountability and CBOs norms, a new agreement copy or 'ekrarnam' has been developed.

All districts are requested to facilitate the agreement of cadre viz, Community Mobilisers, VO and CLF Bookkeepers and Cluster Facilitators in new agreement format (*attached with the letter*). The agreement needs to be reviewed and renewed on yearly basis by the concerned CBOs.



(Balamurugan D.)

Chief Executive Officer-cum- State Mission Director

Encl.:

1. Agreement Copy (4 in no.).

Copy to:

1. All DPMs/Thematic Managers/FMs /Manager-ICBs /TOs /BPMs.
2. All PCs/SFMs/SFMs/PMs/AFMs.
3. OSD/Director/CFO/PS/PO/AO.
4. IT Section.
5. Concerned File.

एकरारनामा

यह एकरारनामा, आज दिनांक को जीविका महिला ग्राम संगठन
पता (प्रथम पक्ष)

एवं

श्री / श्रीमती उम पिता / पति (द्वितीय पक्ष)
पता -
के बीच हस्ताक्षरित किया गया ।

इस एकरारनामा के तहत ".....जीविका महिला ग्राम संगठन" के द्वारा श्री / श्रीमती की सेवाओं
को स्वयं सहायता समूह एवं ग्राम संगठन के सेवार्थ / सहायतार्थ अंशकालिक तौर
पर अनुबंधित करती है ।

1. यह कि 'ग्राम संगठन' श्री / श्रीमती को प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद स्वयं
सहायता समूह एवं ग्राम संगठन के सेवार्थ / सहायतार्थ अंशकालिक तौर पर 11 माह के लिए अनुबंधित करती है ।
2. यह कि श्री / श्रीमती (जीविकाभित्र) का कार्यक्षेत्र सम्बंधित ग्राम संगठन का क्षेत्र / सम्बंधित गाँव होगा ।
3. यह कि श्री / श्रीमती (जीविकाभित्र) को अपने कार्यक्षेत्र में अवस्थित स्वयं सहायता समूहों का साप्ताहिक
बैठक कराना, उन समूहों को पंचसुत्रा का पालन कराना, उन समूहों के साप्ताहिक बैठक में ही खाता-बही (Books of Record) को
अदयतन करना, समूह से सम्बंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित सभी तरह के कागजात एवं प्रतिवेदन तैयार करना, समूहों का
अदयतन मासिक प्रतिवेदन तैयार करना, समूहों को प्रशिक्षण प्रदान करना, समूह मार्गदर्शिका के आधार पर कार्य करना एवं
'जीविकाभित्र (CM) पालिसी' तथा उसमें हुए सशोधन के अनुसार निर्धारित कार्य को सम्पूर्ण करना है ।
4. यह कि जीविकाभित्र (CM) को ग्राम संगठन / परियोजना से सम्बंधित कार्य के लिए कार्यक्षेत्र से बाहर भेजने की स्थिति में यात्रा खर्च
(वास्तविक) ग्राम संगठन / परियोजना द्वारा देय होगा ।
5. यह कि जीविकाभित्र (CM) का मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि, ग्राम संगठन के द्वारा प्रतिमाह समीक्षा के उपरांत 'जीविकाभित्र (CM)
पालिसी' तथा सम्बंधित पालिसी के अनुसार देय होगा ।
6. यह कि जीविकाभित्र (CM) को ग्राम संगठन एक माह के नोटिस से कार्य से विमुक्त कर सकता है यदि जीविकाभित्र (CM) गैरकानूनी
या वित्तीय अनियमितता के कार्य में शामिल हो, अपनी जवाबदेही निर्वाह करने में सक्षम नहीं हो, ग्राम संगठन के नियम-कानून का
उलंघन करता / करती हो, ग्राम संगठन का विश्वास खो चूका / चुकी हो एवं बिना सुचना के सात दिनों से अधिक अपने कार्य से
अनुपस्थित हो ।
7. यह कि यदि जीविकाभित्र (CM) को पद से विमुक्त किया जाता / जाती है या वह स्वेच्छा से अपना पद त्यागता / त्यागती है एवं
यदि पूर्व का उस पर किसी तरह का बकाया है तो वह क्षतिपूर्ति के लिए जवाबदेह रहेगा / रहेगी, जब तक ग्राम संगठन संतुष्ट नहीं
हो जाता है ।
8. यह कि जीविकाभित्र (CM) निर्धारित कार्यों की प्रकृति एवं उद्देश्यों का भलीभांति विचार कर उच्च वृत्तिक एवं नैतिक दक्षता तथा
सत्यनिष्ठा से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे ।
9. यह कि ग्राम संगठन द्वारा श्री / श्रीमती की सेवाओं को अनुबंधन समाप्ति के पूर्व ही
मूल्यांकन कर मानदेय एवं कार्य अनुबंधन सम्बंधित सभी निर्णय लेने का अधिकार होगा ।
10. यह कि श्री / श्रीमती , द्वितीय पक्ष ने इस करार को पढ़ / पढ़ा कर अच्छी तरह से
समझ लिया है एवं उसके पश्चात् ही हस्ताक्षर किया है ।

सचिव अध्यक्ष

हस्ताक्षर एवं मुहर - ग्राम संगठन (प्रथम पक्ष)

गवाह 1.
2.गवाह 1.
2.

एकरारनामा

यह एकरारनामा, आज दिनाक ... को जीविका महिला संकुल संघ
पता (प्रथम पक्ष)

एवं

श्री /श्रीमती उम पिता / पति
पता - (द्वितीय पक्ष)
के बीच हस्ताक्षरित किया गया ।

इस एकरारनामा के तहत ".....जीविका महिला संकुल संघ" के द्वारा श्री /श्रीमती की सेवाओं को स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल संघ के सेवार्थ / सहायतार्थ निम्नलिखित मान्य विन्दुओं पर ग्राम संगठन - लेखापाल (VO-BK) के रूप में अशकालिक तौर पर अनुबंधित करती है ।

1. यह कि 'संकुल संघ' श्री /श्रीमती को प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल संघ के सेवार्थ / सहायतार्थ अंशकालिक तौर पर 11 माह के लिए अनुबंधित करती है ।
2. यह कि श्री /श्रीमती (ग्राम संगठन - लेखापाल) का कार्यक्षेत्र सम्बंधित संकुल संघ का क्षेत्र / सम्बंधित पंचायत एवं गाँव होगा ।
3. यह कि श्री /श्रीमती (ग्राम संगठन - लेखापाल) को अपने कार्यक्षेत्र में अवस्थित ग्राम संगठनों का पाक्षिक /भासिक बैठक करना, उन ग्राम संगठनों को अष्टसूत्र का पालन कराना, उन ग्राम संगठनों के बैठक से ही खाता-बही (Books of Record) को अद्यतन करना, ग्राम संगठनों से सम्बंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित सभी तरह के कागजात एवं प्रतिवेदन तैयार करना, ग्राम संगठन का अद्यतन मासिक प्रतिवेदन तैयार करना, ग्राम संगठनों को प्रशिक्षण प्रदान करना, ग्राम संगठन के अँडिट अनुपालन (Compliance) प्रतिवेदन तैयार करना, नियमित रूप से MIS को अद्यतन करना, ग्राम संगठन - मार्गदर्शिका के आधार पर कार्य करना एवं 'ग्राम संगठन - लेखापाल पालिसी' तथा उसमें हुए संशोधन के अनुसार निर्धारित कार्य को सम्मय पूरा करना है ।
4. यह कि ग्राम संगठन - लेखापाल (VO-BK) को ग्राम संगठन / संकुल संघ / परियोजना से सम्बंधित कार्य के लिए कार्यक्षेत्र से बाहर भैजने की स्थिति में यात्रा खर्च (वास्तविक) ग्राम संगठन / संकुल संघ / परियोजना द्वारा देय होगा ।
5. यह कि ग्राम संगठन - लेखापाल (VO-BK) का मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि, संकुल संघ के द्वारा प्रतिमाह समीक्षा के उपरांत 'ग्राम संगठन - लेखापाल (VO-BK) पालिसी' तथा सम्बंधित पालिसी के अनुसार देय होगा ।
6. यह कि ग्राम संगठन - लेखापाल (VO-BK) को संकुल संघ एक माह के नोटिस में कार्य से विमुक्त कर सकता है यदि ग्राम संगठन - लेखापाल (VO-BK) गैरकानूनी या वित्तीय अनियमितता के कार्य में शामिल हो, अपनी जवाबदेही निर्वाह करने में सक्षम नहीं हो, संकुल संघ के नियम-कानून का उल्घन करता / करती हो, संकुल संघ का विश्वास खो चूका / चुकी हो एवं दिना सुचना के सात दिनों से अधिक अपने कार्य से अनुपस्थित हो ।
7. यह कि यदि ग्राम संगठन - लेखापाल (VO-BK) को पद से विमुक्त किया जाता / जाती है या वह स्वेच्छा से अपना पद त्यागता / त्यागती है एवं यदि पूर्व का उस पर किसी तरह का बकाया है तो वह क्षतिपूर्ति के लिए जवाबदेह रहेगा / रहेगी, जब तक ग्राम संगठन / संकुल संघ सतुष्ट नहीं हो जाता है ।
8. यह कि ग्राम संगठन - लेखापाल (VO-BK) निर्धारित कार्यों की प्रकृति एवं उद्देश्यों का भलीभांति विचार कर उच्च वृत्तिक एवं नैतिक दक्षता तथा सत्यनिष्ठा से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे ।
9. यह कि संकुल संघ द्वारा श्री /श्रीमती की सेवाओं को अनुबंधन समाप्ति के पूर्व ही मूल्यांकन कर मानदेय एवं कार्य अनुबंधन सम्बंधित सभी निर्णय लेने का अधिकार होगा ।
10. यह कि श्री /श्रीमती , द्वितीय पक्ष ने इस करार को पढ़ /पढ़ा कर अच्छी तरह से समझ लिया है एवं उसके पश्चात् ही हस्ताक्षर किया है ।

सचिव अद्यक्ष
हस्ताक्षर एवं मुहर - संकुल संघ (प्रथम पक्ष)

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)

गवाह 1. -----
2. -----

गवाह 1. -----
2. -----

एकरारनामा

यह एकरारनामा, आज दिनांक को जीविका महिला संकुल संघ
पता (प्रथम पक्ष)

एवं

श्री / श्रीमती उम पिता / पति
पता - (द्वितीय पक्ष)
के बीच हस्ताक्षरित किया गया।

इस एकरारनामा के तहत "जीविका महिला संकुल संघ" के द्वारा श्री / श्रीमती की सेवाओं को स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल संघ के सेवार्थ / सहायतार्थ निम्नलिखित मान्य विन्दुओं पर संकुल संघ - लेखापाल (CLF-MBK) के रूप में अशक्तिक तौर पर अनुबंधित करती है।

1. यह कि 'संकुल संघ' श्री / श्रीमती को प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल संघ के सेवार्थ / सहायतार्थ अंशकालिक तौर पर 11 माह के लिए अनुबंधित करती है।
2. यह कि श्री / श्रीमती (संकुल संघ - लेखापाल) का कार्यक्षेत्र सम्बंधित संकुल संघ का क्षेत्र होगा।
3. यह कि श्री / श्रीमती (संकुल संघ - लेखापाल) को अपने संकुल संघ से सम्बंधित बैठक कराना, उस संकुल संघ का खाता-बही (Books of Record) को अद्यतन रखना, संकुल संघ से सम्बंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित सभी तरह के कागजात एवं प्रतिवेदन तैयार करना, संकुल संघ का अद्यतन मासिक प्रतिवेदन तैयार करना, ग्राम संगठनों एवं संकुल संघ को प्रशिक्षण प्रदान करना, सदस्य ग्राम संगठन के खाता-बही का सत्यापन करना, संकुल संघ का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक कार्य योजना एवं वार्षिक बजट तैयार कर निटेशक मंडल / कार्यकारिणी समिति से अनुमोदन / स्वीकृति लेना, संकुल संघ के ऑडिट अनुपालन (Compliance) प्रतिवेदन तैयार करना, नियमित रूप से MIS को अद्यतन करना, ग्राम संगठन - लेखापाल (VO-BK) के कार्यों का निरिक्षण एवं उसका मार्गदर्शन करना, संकुल संघ - मार्गदर्शक के आधार पर कार्य करना एवं 'संकुल संघ - लेखापाल (CLF-MBK) पालिसी' तथा सम्बंधित पालिसी के अनुसार निर्धारित कार्य को सम्मय पूरा करना है।
4. यह कि संकुल संघ - लेखापाल (CLF-MBK) को संकुल संघ / परियोजना से सम्बंधित कार्य के लिए कार्यक्षेत्र से बाहर भेजने की स्थिति में यात्रा खर्च (वास्तविक) संकुल संघ / परियोजना द्वारा देय होगा।
5. यह कि संकुल संघ - लेखापाल (CLF-MBK) का मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि, संकुल संघ के द्वारा प्रतिमाह समीक्षा के उपरांत संकुल संघ - लेखापाल (CLF-MBK) पालिसी' तथा सम्बंधित पालिसी के अनुसार देय होगा।
6. यह कि संकुल संघ - लेखापाल (CLF-MBK) को संकुल संघ एक माह के नोटिस में कार्य से विमुक्त कर सकता है यदि संकुल संघ - लेखापाल (CLF-MBK) गैरकानूनी या वित्तीय अनियमितता के कार्य में शामिल हो, अपनी जवाबदेही निर्वाह करने में सक्षम नहीं हो, संकुल संघ के विश्वास खो चूका / चुकी हो एवं बिना सुचना के सात दिनों से अधिक अपने कार्य से अनुपस्थित हो।
7. यह कि यदि संकुल संघ - लेखापाल (CLF-MBK) को पद से विमुक्त किया जाता / जाती है या वह स्वेच्छा से अपना पद त्यागता / त्यागती है एवं यदि पूर्व का उस पर किसी तरह का बकाया है तो वह क्षतिपूर्ति के लिए जवाबदेह रहेगा / रहेगी, जब तक संकुल संघ संतुष्ट नहीं हो जाता है।
8. यह कि संकुल संघ - लेखापाल (CLF-MBK) निर्धारित कार्यों की प्रकृति एवं उद्देश्यों का भलीभांति विचार कर उच्च वृत्तिक एवं नैतिक दक्षता तथा सन्यासिष्ठ से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे।
9. यह कि संकुल संघ द्वारा श्री / श्रीमती की सेवाओं को अनुबंधन समाप्ति के पूर्व ही मूल्यांकन कर मानदेय एवं कार्य अनुबंधन सम्बंधित सभी निर्णय लेने का अधिकार होगा।
10. यह कि श्री / श्रीमती , द्वितीय पक्ष ने इस करार को पढ़ / पढ़ा कर अच्छी तरह से समझा लिया है एवं उसके पश्चात् ही हस्ताक्षर किया है।

सचिव अध्यक्ष

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)

गवाह 1.
2.

हस्ताक्षर एवं मुहर - संकुल संघ (प्रथम पक्ष)

गवाह 1.
2.

एकरारनामा

यह एकरारनामा, आज दिनांक को पता जीविका महिला संकुल संघ (प्रथम पक्ष) (द्वितीय पक्ष)

एवं

श्री / श्रीमती उम पिता / पति (द्वितीय पक्ष)
पता - के बीच हस्ताक्षरित किया गया ।

इस एकरारनामा के तहत ".....जीविका महिला संकुल संघ" के द्वारा श्री / श्रीमती की सेवाओं को स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल संघ के सेवार्थ / सहायतार्थ निम्नलिखित मान्य बिन्दुओं पर क्लस्टर फैसिलिटेटर (CF) के रूप में अंशकालिक तौर पर अनुबंधित करती हैं ।

1. यह कि 'संकुल संघ' श्री / श्रीमती को प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल संघ के सेवार्थ / सहायतार्थ अंशकालिक तौर पर 11 माह के लिए अनुबंधित करती है ।
2. यह कि श्री / श्रीमती (क्लस्टर फैसिलिटेटर) का कार्यक्षेत्र सम्बंधित संकुल संघ का क्षेत्र / सम्बंधित पंचायत एवं गाँव होगा ।
3. यह कि श्री / श्रीमती (क्लस्टर फैसिलिटेटर) को अपने संकुल संघ एवं उससे सम्बंधित ग्राम संगठनों के बैठक को सुनियोजित ढंग से करवाते हुए बैठक में एजेंडा का निर्धारण सही ढंग से करवाना, अपने संकुल संघ से सम्बंधित ग्राम संगठन एवं समूहों के परस्पर सम्बन्ध को मजबूत बनाते हुए उनकी गुणवत्ता को बढ़ाना, ग्राम संगठन का वार्षिक आम सभा करवाना, संकुल संघ के योजनानुसार समुदाय आधारित संस्था (SHG, VO एवं CLF) और इससे सम्बंधित कैंडरों के क्षमतावर्धन कार्यक्रम का आयोजन करना, संकुल संघ को कार्यालय प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन एवं मानव संसाधन (कैंडर) प्रबंधन में सहयोग करना, ग्राम संगठनों को अष्टसूत्र का पालन करवाना, ग्राम संगठनों एवं संकुल संघ से सम्बंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित सभी तरह के कागजात एवं प्रतिवेदन समय पर तैयार करवाना, ग्राम संगठन का अद्यतन मासिक प्रतिवेदन तैयार करवाना, ग्राम संगठनों को प्रशिक्षण प्रदान करना, ग्राम संगठन एवं संकुल संघ - मार्गदर्शिका के आधार पर कार्य करना एवं 'क्लस्टर फैसिलिटेटर पातिसी' तथा उसमें हुए संशोधन के अनुसार निर्धारित कार्य को सम्मय पूरा करना है ।
4. यह कि क्लस्टर फैसिलिटेटर (CF) को ग्राम संगठन / संकुल संघ / परियोजना से सम्बंधित कार्य के लिए कार्यक्षेत्र से बाहर भेजने की स्थिति में यात्रा खर्च (वास्तविक) ग्राम संगठन / संकुल संघ / परियोजना द्वारा देय होगा ।
5. यह कि क्लस्टर फैसिलिटेटर (CF) का मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि, संकुल संघ के द्वारा प्रतिमाह समीक्षा के उपरांत 'क्लस्टर फैसिलिटेटर (CF) पातिसी' तथा सम्बंधित पातिसी के अनुसार देय होगा ।
6. यह कि क्लस्टर फैसिलिटेटर (CF) को संकुल संघ एक माह के नोटिस में कार्य से विमुक्त कर सकता है यदि क्लस्टर फैसिलिटेटर (CF) गैरकानूनी या वित्तीय अनियमितता के कार्य में शामिल हो, अपनी जवाबदेही निर्वाह करने में सक्षम नहीं हो, संकुल संघ के नियम-कानून का उलंघन करता / करती हो, संकुल संघ का विश्वास खो चूका / चुकी हो एवं बिना सुचना के सात दिनों से अधिक अपने कार्य से अनुपस्थित हो ।
7. यह कि यदि क्लस्टर फैसिलिटेटर (CF) को पद से विमुक्त किया जाता / जाती है या वह स्वेच्छा से अपना पद त्यागता / त्यागती है एवं यदि पूर्व का उस पर किसी तरह का बकाया है तो वह क्षतिपूर्ति के लिए जवाबदेह रहेगा / रहेगी, जब तक ग्राम संगठन / संकुल संघ संतुष्ट नहीं हो जाता है ।
8. यह कि क्लस्टर फैसिलिटेटर (CF) निर्धारित कार्यों की प्रकृति एवं उद्देश्यों का अलीभांति विचार कर उच्च वृत्ति एवं नैतिक दक्षता तथा सत्यनिष्ठा से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे ।
9. यह कि संकुल संघ द्वारा श्री / श्रीमती की सेवाओं को अनुबंधन समाप्ति के पूर्व ही मूल्यांकन कर मानदेय एवं कार्य अनुबंधन सम्बंधित सभी निर्णय लेने का अधिकार होगा ।
10. यह कि श्री / श्रीमती , द्वितीय पक्ष ने इस करार को पढ़ / पढ़ा कर अच्छी तरह से समझ लिया है एवं उसके पश्चात् ही हस्ताक्षर किया है ।

सचिव अध्यक्ष

हस्ताक्षर एवं मुहर - संकुल संघ (प्रथम पक्ष)

गवाह 1.

2.

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)

गवाह 1.

2.